NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 06-03-2026

विषय सूची

माता-पिता को तृतीय संतान के जन्म के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी जनसंख्या प्रबंधन नीति का प्रारूप

पश्चिम एशिया संघर्ष के निहितार्थ

न्यायिक स्वतंत्रता का स्तंभ के रूप में न्यायिक असहमति

लैंगिक न्याय का अंतर: किसी भी देश ने महिलाओं के लिए पूर्ण कानूनी समानता प्राप्त नहीं की है

स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

संक्षिप्त समाचार

होर्मुज़ जलडमरूमध्य

ईरानी कुर्द(Iranian Kurds)

रायसीना संवाद 2026

ग्रैविटी बम(Gravity Bomb)

भारत की जैव विविधता पर सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट

माता-पिता को तृतीय संतान के जन्म के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी जनसंख्या प्रबंधन नीति का प्रारूप

संदर्भ

- आंध्र प्रदेश सरकार ने घटती प्रजनन दर और भविष्य की जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक जनसंख्या प्रबंधन नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया है।

परिचय

- इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजनन दर (TFR) को 1.5 से बढ़ाकर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक पहुँचाना है। इसके लिए परिवारों को तृतीय बच्चे के जन्म हेतु वित्तीय और सामाजिक प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- कुल प्रजनन दर (TFR) उस औसत संख्या को दर्शाती है जितने बच्चे एक महिला अपने जीवनकाल में जन्म देती है।
  - 2.1 का TFR प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है, जो स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- वैश्विक स्तर पर जापान, इटली और दक्षिण कोरिया जैसे कई विकसित देशों को अत्यंत कम प्रजनन दर के कारण गंभीर जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रारूप नीति की मुख्य विशेषताएँ

- नीति में तृतीय बच्चे के जन्म पर परिवारों के लिए "पोषण – शिक्षा – सुरक्षा" प्रोत्साहन पैकेज प्रस्तावित है।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** तृतीय बच्चे के जन्म पर सरकार ₹25,000 की राशि प्रदान करेगी।
  - परिवारों को पाँच वर्षों तक प्रति माह ₹1,000 की सहायता दी जाएगी ताकि बाल देखभाल और पोषण सुनिश्चित हो सके।
- **शिक्षा सहायता:** तृतीय बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
- **कार्यान्वयन समयरेखा:** यह नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है, सार्वजनिक परामर्श की अवधि के पश्चात।

वृद्ध होती जनसंख्या के आर्थिक प्रभाव

- **पेंशन पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि:** वृद्ध जनसंख्या बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणालियों पर बोझ बढ़ेगा, जिससे राज्य एवं केंद्र सरकार के बजट पर दबाव पड़ेगा।
- **उपभोक्ता मांग में कमी:** वृद्ध जनसंख्या अपेक्षाकृत कम उपभोग करती है, जबकि युवा जनसंख्या अधिक सक्रिय होती है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना पर दबाव:** उम्र से संबंधित बीमारियों की अधिकता के कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
  - 2017-18 में, भारत की कुल जनसंख्या का केवल पाँचवाँ हिस्सा रखने वाले दक्षिणी राज्यों ने हृदय रोगों पर देश के कुल निजी खर्च का 32% वहन किया।
- **आर्थिक वृद्धि मॉडल पर दबाव:** भारत की आर्थिक वृद्धि अब तक जनसांख्यिकीय लाभांश पर आधारित रही है। वृद्ध होती जनसंख्या के साथ इस मॉडल में बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी।

वैश्विक परिदृश्य

- **जापान:** यहाँ औसत आयु 48 वर्ष से अधिक है। इस बदलाव ने दीर्घकालिक आर्थिक मंदी, घटती कार्यबल और पेंशन व स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि करता है।
- **चीन:** 1979 से 2015 तक लागू एक-बच्चा नीति ने जन्म दर को काफी कम कर दिया, जिससे जनसंख्या तीव्रता से वृद्ध हो रही है।
- **दक्षिण कोरिया:** यहाँ विश्व की सबसे कम प्रजनन दरों में से एक है, जो 2022 में 0.78 रही। इससे दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों जैसे श्रम की कमी और GDP वृद्धि में गिरावट की आशंका बढ़ गई है।

चुनौतियाँ

- **महिलाओं की श्रम भागीदारी पर प्रभाव:** प्रजनन दर बढ़ाने के प्रस्ताव महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को कम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- **राजकोषीय बोझ में वृद्धि:** नकद हस्तांतरण, सब्सिडी और दीर्घकालिक लाभों पर आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ राज्य के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं, विशेषकर यदि जन्म दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- **पर्यावरणीय दबाव:** बड़ी जनसंख्या जल, भूमि और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव डाल सकती है, जिससे पर्यावरणीय चुनौतियाँ और गंभीर हो सकती हैं।

निष्कर्ष

- यह नीति जनसंख्या नियंत्रण से जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में बदलाव को दर्शाती है, जो कई भारतीय राज्यों की नई जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती है।
- यह आने वाले दशकों में जनसंख्या संतुलन, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु सक्रिय उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

Source: TH

पश्चिम एशिया संघर्ष के निहितार्थ

संदर्भ

- हाल ही में ईरान पर हुए मिसाइल हमलों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और ईरान को शामिल करते हुए युद्ध शुरू कर दिया है।
  - इस संघर्ष ने पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक अस्थिर कर दिया है तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न की है।

पश्चिम एशिया संघर्ष के वैश्विक निहितार्थ

- **अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन:** अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल आत्मरक्षा की स्थिति में या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति मिलने पर बल प्रयोग की अनुमति देता है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में इनमें से कोई भी शर्त पूरी होती प्रतीत नहीं होती।
  - ऐसे कदम वैश्विक मानदंडों को कमजोर करते हैं और अन्य देशों को स्थापित नियमों की अवहेलना करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- **संघर्ष समाधान में कूटनीति की भूमिका का ह्रास:** ईरान एक ऐसे समझौते के निकट था जिसमें यूरेनियम संवर्धन को रोकना, हथियार-ग्रेड सामग्री का शून्य भंडार बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करना शामिल था, जिसके बदले चरणबद्ध प्रतिबंधों में राहत दी जाती।
  - सैन्य कार्रवाई को वार्ता पर प्राथमिकता देकर अमेरिका और इज़राइल ने कूटनीति पर विश्वास को कमजोर करने का जोखिम उठाया है।
- **क्षेत्रीय विस्तार और व्यापक संघर्ष का खतरा:** यदि संघर्ष बढ़ता है तो इसमें प्रॉक्सी समूहों और संबद्ध मिलिशिया की भागीदारी हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक अस्थिरता एवं आतंकवादी हमलों या प्रतिशोधात्मक हिंसा का खतरा बढ़ सकता है।
- **वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में व्यवधान:** होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में अनिश्चितता उत्पन्न हुई है।
  - क़तर द्वारा गैस आपूर्ति निलंबित करने से वैश्विक औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ प्रभावित हुई हैं, जो इस संघर्ष के दूरगामी आर्थिक परिणामों को दर्शाती हैं।
- **मानवीय और नागरिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** जब सरकारें अपने अस्तित्व को संकटग्रस्त मानती हैं तो सैन्य और नागरिक लक्ष्यों के बीच का अंतर धुंधला हो सकता है।
  - ऐसे हालात मानवीय संकट, जनसंख्या विस्थापन और दीर्घकालिक सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे सकते हैं।

भारत के लिए निहितार्थ

- **भारत की ऊर्जा सुरक्षा:** यह संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित करता है क्योंकि भारत के कच्चे तेल आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है।
  - वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि भारत के आयात बिल को बढ़ाती है, चालू खाते के घाटे को चौड़ा करती है और घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को उत्पन्न कर सकती है।

- **भारतीय प्रवासी समुदाय:** खाड़ी देशों में लाखों भारतीय श्रमिक निवास करते हैं, जिनकी सुरक्षा क्षेत्रीय संघर्ष के समय एक प्रमुख चिंता का विषय बन जाती है।
- **प्रेषण (Remittances):** भारत के लगभग एक करोड़ प्रवासी अरबों डॉलर की राशि प्रेषण, अचल संपत्ति, शेयर बाज़ार और अन्य माध्यमों से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। युद्ध इन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
- **निवेश:** यूएई का गोल्डन वीज़ा भारत के नए युग के तकनीकी और स्टार्ट-अप उद्यमियों को आकर्षित करने में सफल रहा है। इनमें से कई दुबई में रहते हैं और भारत में उद्यम चलाते हैं।
  - युद्ध इन निवेशों को प्रभावित कर सकता है और ट्रिलियन डॉलर मूल्य के ब्रांडों व निवेशों को संकट में डाल सकता है।

आगे की राह

- पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखना भारत की आर्थिक वृद्धि, व्यापार मार्गों और प्रवासी समुदाय के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- भारत को ऊर्जा विविधीकरण रणनीतियों को सुदृढ़ करना, सामरिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करना और शांति पुनर्स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी करनी पड़ सकती है।

Source: IE

"न्यायिक स्वतंत्रता का स्तंभ के रूप में न्यायिक असहमति

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना ने यह बल दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत न्यायाधीशों को असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, भले ही उनके विचार उनके सहकर्मियों से भिन्न हों।

न्यायिक असहमति क्या है?

- न्यायिक असहमति उस स्थिति को दर्शाती है जब कोई न्यायाधीश न्यायालय के बहुमत निर्णय से असहमति व्यक्त करता है।
- असहमति व्यक्त करने वाला मत यह स्पष्ट करता है कि न्यायाधीश बहुमत के निर्णय की तर्कशक्ति या परिणाम से क्यों असहमत है।

लोकतंत्र में असहमति का महत्व

- **न्यायिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है:** असहमति यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों को बहुमत के विचार से सहमत होने के लिए बाध्य न किया जाए। यह व्यक्तिगत न्यायाधीशों की बौद्धिक स्वायत्तता की रक्षा करता है।
- **संवैधानिक विमर्श को प्रोत्साहित करता है:** असहमति वाले मत विधिक तर्क और संवैधानिक व्याख्या में योगदान करते हैं। वे संवैधानिक सिद्धांतों की गहन समीक्षा को प्रोत्साहित करते हैं।
- **भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करता है:** कई असहमति वाले मत बाद में स्वीकृत विधिक सिद्धांत बन जाते हैं। वे भविष्य के न्यायालयों और विधि विद्वानों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं।
- **अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है:** असहमति प्रायः उन चिंताओं को उजागर करती है जिन्हें बहुमतवादी संस्थाएँ नज़रअंदाज़ कर सकती हैं। यह न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षक के रूप में कार्य करने में सहायता करता है।

भारत में न्यायिक असहमति के प्रमुख उदाहरण

- **ए. डी. एम. जबलपुर मामला (1976):** ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने माना कि आपातकाल के दौरान नागरिक मौलिक अधिकारों जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रवर्तन हेतु न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते।
- न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने ऐतिहासिक एकल असहमति व्यक्त की और कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
- **खड़क सिंह मामला (1962):** खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पुलिस निगरानी उपायों को वैध ठहराया।

- न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस निगरानी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- **सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ:** बहुमत ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को असंवैधानिक घोषित किया।
- न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने एकल असहमति व्यक्त की, NJAC का समर्थन किया और कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की।

न्यायिक स्वतंत्रता को समाहित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो खुले और तर्कसंगत न्यायिक मतों के लिए व्यापक लोकतांत्रिक आधार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 50:** राज्य को न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण बनाए रखने का निर्देश देता है, जिससे न्यायिक स्वायत्तता सुदृढ़ होती है।
- **अनुच्छेद 124 और 217:** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा एवं मनमाने तरीके से हटाए जाने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं।

न्यायिक असहमति से जुड़ी चुनौतियाँ

- **व्यावसायिक परिणामों की संभावना:** बहुमत से भिन्न विचार व्यक्त करने वाले न्यायाधीश कभी-कभी प्रतिकूल करियर परिणामों या संस्थागत असुविधा का सामना कर सकते हैं।
- **न्यायिक उद्देश्यों की गलत व्याख्या का जोखिम:** संवेदनशील राजनीतिक या सामाजिक प्रश्नों से जुड़े मामलों में असहमति वाले मत व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखे जा सकते हैं।
- **मामलों के लंबित रहने का दबाव:** भारत की न्यायपालिका लंबित मामलों के अत्यधिक भार का सामना कर रही है, जिससे विवादों का शीघ्र समाधान आवश्यक हो जाता है।
    - विस्तृत पृथक मत लिखने में अतिरिक्त समय और विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है, इसलिए भारी कार्यभार असहमति वाले निर्णयों की आवृत्ति को कम करता है।

निष्कर्ष

- न्यायिक असहमति संवैधानिक न्यायनिर्णयन का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह स्वतंत्र तर्क को प्रोत्साहित करती है, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है तथा संवैधानिक न्यायशास्त्र को समृद्ध करती है।
- संस्थागत बाधाओं का समाधान और तर्कसंगत असहमति का सम्मान करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना न्यायपालिका की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को सुदृढ़ कर सकता है।

Source: TH

लैंगिक न्याय का अंतर: किसी भी देश ने महिलाओं के लिए पूर्ण कानूनी समानता प्राप्त नहीं की है

संदर्भ

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर **यूएन वूमेन(UN Women)** ने एक वैश्विक चेतावनी जारी की, जिसमें विश्वभर की न्यायिक व्यवस्थाओं में गंभीर अंतरालों को उजागर किया गया।

यूएन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक कानूनी असमानता:** विश्वभर में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं।
    - कई राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्थाएँ महिलाओं के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रही हैं।
    - कमजोर न्यायिक तंत्र कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं।
- **महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कानूनी अंतराल:** 54% देशों में बलात्कार की परिभाषा सहमति पर आधारित नहीं है। इससे अभियोजन सीमित होता है और यौन हिंसा के कई रूपों को मान्यता नहीं मिलती।

- लगभग तीन-चौथाई देशों में अब भी कुछ शर्तों के अंतर्गत लड़कियों का कानूनी विवाह संभव है।

- **आर्थिक भेदभाव:** 44% देशों में समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने वाले कानून नहीं हैं।
  - यह कानूनी अंतराल लैंगिक वेतन अंतर और आर्थिक असमानता को स्थायी बनाता है।
- **महिलाओं के अधिकारों पर बढ़ते खतरे:** यूएन वूमेन ने चेतावनी दी है कि कमजोर प्रवर्तन और जवाबदेही की कमी के कारण महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बढ़ रहा है।
  - तीव्र तकनीकी विस्तार ने ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर-स्टॉकिंग और डिजिटल दुर्व्यवहार को जन्म दिया है।
- **संघर्ष में यौन हिंसा:** बलात्कार अब भी युद्ध के हथियार के रूप में प्रयुक्त होता है।
  - विगत दो वर्षों में यौन हिंसा के मामलों में 87% की वृद्धि दर्ज की गई है।

न्याय तक पहुँच में बाधाएँ

- **सामाजिक मानदंड और कलंक:** पीड़िता को दोषी ठहराना और सामाजिक दबाव रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करते हैं।
- **संस्थागत बाधाएँ:** पुलिस, न्यायालय और कानूनी संस्थाओं पर विश्वास की कमी।
- **व्यावहारिक सीमाएँ:** उच्च कानूनी लागत, लंबी न्यायिक प्रक्रिया, भाषा संबंधी बाधाएँ और कानूनी जागरूकता का अभाव।
- **दण्डमुक्ति और कमजोर प्रवर्तन:** स्त्रीहत्या और यौन हिंसा जैसे अपराध प्रायः बिना दंडित रह जाते हैं।

उभरती वैश्विक चुनौतियाँ

- **लैंगिक समानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया:** हाल के वर्षों में कई देशों में लैंगिक समानता नीतियों के प्रति बढ़ता विरोध देखा गया है।
  - महिलाओं की स्वतंत्रता और भागीदारी को सीमित करने वाले कानून लागू किए जा रहे हैं।
  - राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है।
- **डिजिटल और ऑनलाइन हिंसा:** तीव्र तकनीकी वृद्धि ने महिलाओं को लक्षित करते हुए ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर-बुलिंग और डिजिटल दुर्व्यवहार को बढ़ावा दिया है।
  - कमजोर नियमन के कारण अपराधियों को दण्डमुक्ति मिलती है।

अब तक हुई प्रगति

- 87% देशों ने घरेलू हिंसा विरोधी कानून बनाए हैं।
- विगत दशक में 40 से अधिक देशों ने महिलाओं और लड़कियों के लिए संवैधानिक संरक्षण को सुदृढ़ किया है।
- **CEDAW, SDG-5 (लैंगिक समानता)** और **यूएनएससी प्रस्ताव 1325** जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे ने सुधारों को प्रोत्साहित किया है।
  - तथापि, केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं यदि उनका प्रभावी क्रियान्वयन न हो।

वैश्विक आह्वान

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम **'अधिकार. न्याय. कार्रवाई. सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए'** त्वरित सुधारों पर बल देती है:
  - लैंगिक हिंसा के लिए दण्डमुक्ति समाप्त करें।
  - कानून के शासन और लैंगिक-संवेदनशील न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करें।
  - समान कानूनी अधिकार और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करें।
  - ऑनलाइन दुर्व्यवहार रोकने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का नियमन करें।
  - महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता और सुलभ कानूनी सहायता को बढ़ावा दें।
- **महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) का 70वाँ सत्र** वैश्विक स्तर पर पिछड़ेपन को दूर करने और लैंगिक न्याय को तीव्रता से आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

भारत और महिलाएँ: संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता।
- **अनुच्छेद 15(1) एवं 15(3):** भेदभाव का निषेध और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान।
- **अनुच्छेद 39(d):** समान कार्य के लिए समान वेतन।

प्रमुख कानून

- महिला घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005)
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम (2013)
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006)

Source: DTE

स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

संदर्भ

- एक पेशेवर एजेंसी ने खुलासा किया है कि विनियमित डेटा, जिसमें रोगी अभिलेख और चिकित्सीय जानकारी शामिल है, विशेष रूप से जोखिम में है। यह जनरेटिव एआई के उपयोग से संबंधित सभी डेटा नीति उल्लंघनों का 89% हिस्सा है।

स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

- एआई-आधारित उपकरण रोगों का निदान और पूर्वानुमान कर सकते हैं, नैदानिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, अस्पताल प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं, औषधि खोज में सहायता कर सकते हैं तथा स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा दे सकते हैं।

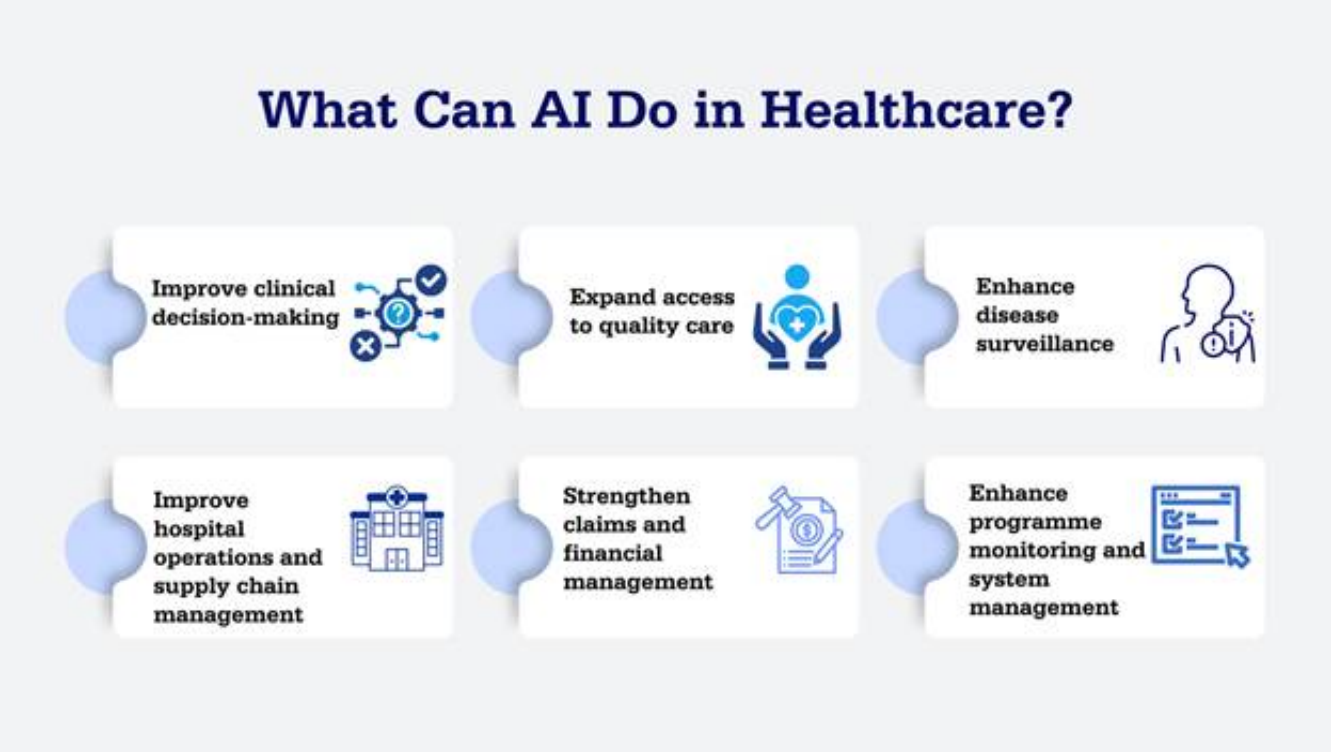

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई हेतु चार प्राथमिकताएँ

- अनुसंधान संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण डेटा का संकलन।
- निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी स्थापित करना।
- ICMR के संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक विश्व के प्रमाण उत्पन्न करना।
- स्वास्थ्य और चिकित्सीय पेशेवरों को शीघ्रता से एआई कार्यबल पाइपलाइन में सम्मिलित करना।

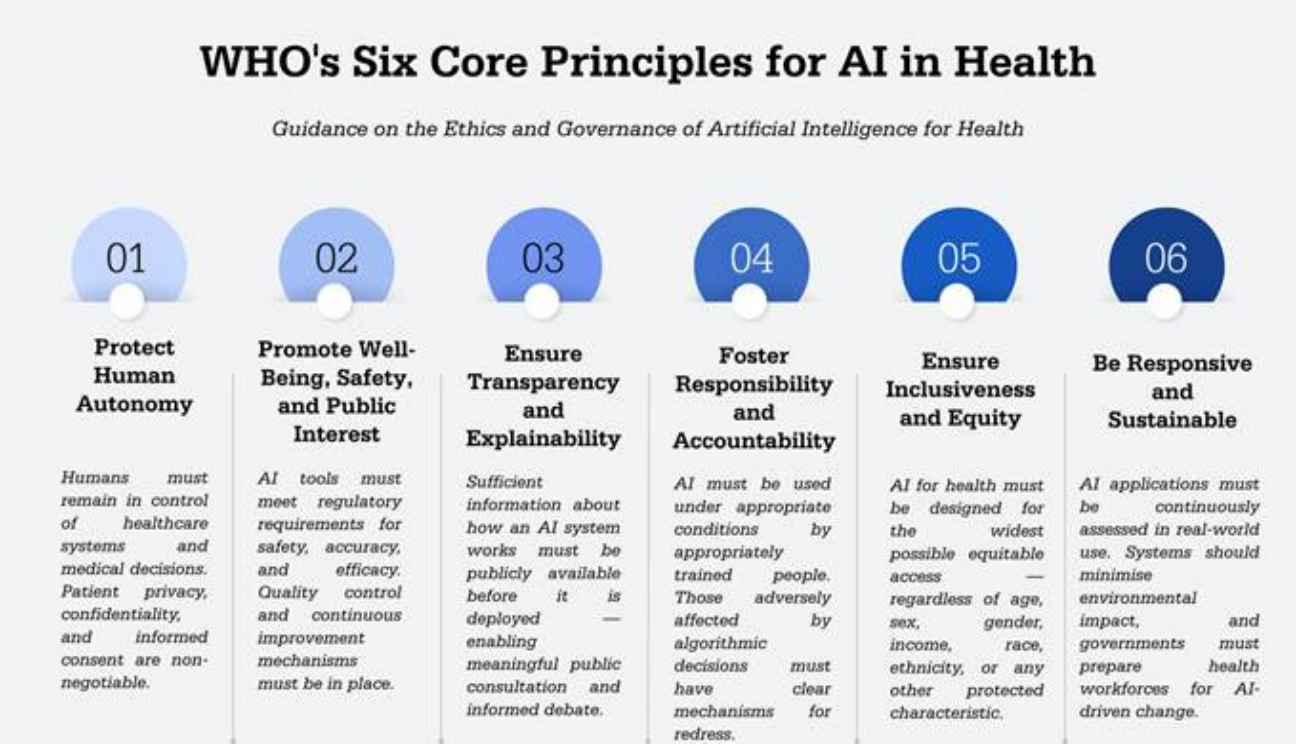

स्वास्थ्य सेवा में एआई उपयोग के पक्ष में तर्क

- **निदान की सटीकता में सुधार:** एआई बड़े चिकित्सीय डेटासेट और इमेजिंग स्कैन का शीघ्र विश्लेषण कर सकता है, जिससे डॉक्टर रोगों का पहले एवं अधिक सटीक चरण में पता लगा सकते हैं।
- **दक्षता और समय की बचत:** एआई नियमित कार्यों जैसे चिकित्सीय अभिलेख प्रबंधन, समय निर्धारण और डेटा विश्लेषण को स्वचालित करता है, जिससे स्वास्थ्यकर्मी रोगी देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- **व्यक्तिगत उपचार:** एआई आनुवंशिक जानकारी, जीवनशैली डेटा और चिकित्सीय इतिहास का विश्लेषण कर व्यक्तिगत उपचार योजनाएँ तैयार कर सकता है।
- **रोगों का प्रारंभिक पूर्वानुमान और रोकथाम:** एआई मॉडल स्वास्थ्य डेटा में पैटर्न पहचानकर संभावित रोगों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे निवारक स्वास्थ्य सेवा और समय पर हस्तक्षेप संभव होता है।
- **औषधि खोज और अनुसंधान में सुधार:** एआई जटिल जैविक डेटा का विश्लेषण कर औषधि खोज एवं नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया को तीव्र करता है, जिससे नई दवाओं के विकास में समय और लागत कम होती है।
- **स्वास्थ्य सेवा की बेहतर पहुँच:** एआई-संचालित टेलीमेडिसिन और वर्चुअल स्वास्थ्य सहायक दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचा सकते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में सहयोग:** एआई सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को रोग निगरानी, प्रकोप पूर्वानुमान एवं नीति नियोजन हेतु बड़े डेटासेट का विश्लेषण करने में सहायता करता है।

विरोध में तर्क

- **एआई प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से डेटा लीक का जोखिम:** स्वास्थ्यकर्मी जनरेटिव एआई उपकरणों का उपयोग करते समय अनजाने में रोगी विवरण प्रॉम्प्ट्स या अपलोड किए गए दस्तावेज़ों में शामिल कर सकते हैं, जिससे बाहरी सर्वरों पर डेटा उजागर हो सकता है।
- **व्यक्तिगत खातों का उपयोग:** कई कर्मचारी सुरक्षित संस्थागत प्रणालियों के बजाय व्यक्तिगत एआई उपकरण या क्लाउड खातों का उपयोग करते हैं, जिससे संगठनों के लिए डेटा उल्लंघन की निगरानी या रोकथाम कठिन हो जाती है।

- **स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरे:** स्वास्थ्य क्षेत्र पहले से ही साइबर अपराधियों का प्रमुख लक्ष्य है, और बढ़ती डिजिटलाइजेशन व एआई एकीकरण हमले की संभावना को बढ़ाते हैं।
- **जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी:** स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण से वंचित हो सकते हैं, जिससे अनजाने में डेटा उजागर होने की संभावना बढ़ जाती है।

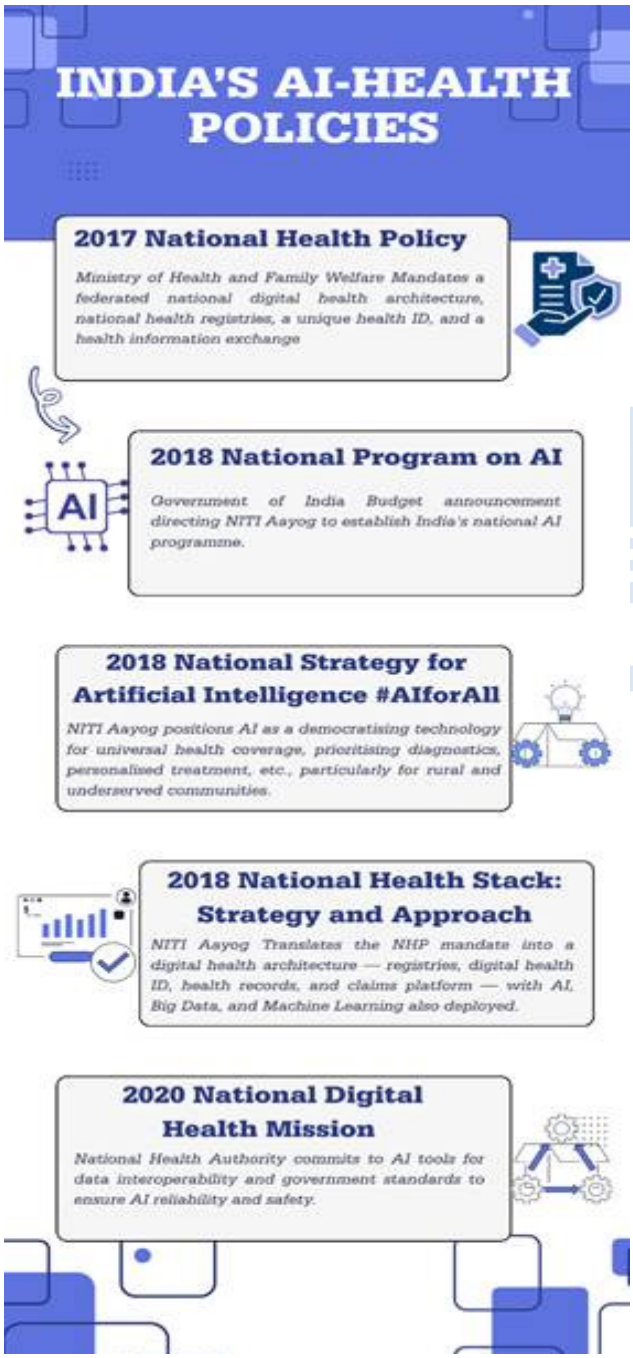

- **नियामक और नैतिक चिंताएँ:** रोगी डेटा का उल्लंघन डेटा संरक्षण कानूनों और चिकित्सीय गोपनीयता की नैतिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य प्रणालियों पर विश्वास कमजोर होता है।

भारत की एआई-स्वास्थ्य नीतियाँ

- **भारत में स्वास्थ्य सेवा हेतु एआई की रणनीति (SAHI):** SAHI एक अनुशंसात्मक राष्ट्रीय ढाँचे के रूप में कार्य करता है, जो बताता है कि एआई को स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे एकीकृत किया जा सकता है।
  - इसे एक राष्ट्रीय ढाँचे के रूप में शुरू किया गया है, जो भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण में एआई को एकीकृत करने के लिए एक संरचित रोडमैप प्रस्तुत करता है।
- **BODH (स्वास्थ्य AI के लिए ओपन डेटा प्लेटफ़ॉर्म का बेंचमार्किंग):** इसे एआई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। यह स्वास्थ्य एआई समाधानों को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले परीक्षण और सत्यापन हेतु एक संरचित तंत्र प्रदान करता है।
  - इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

होर्मुज़ जलडमरूमध्य

संदर्भ

- पश्चिम एशिया में युद्ध ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाले व्यापार को प्रभावित किया है।

परिचय

- होर्मुज़ जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी एवं अरब सागर से जोड़ता है।
- अपने सबसे संकरे हिस्से में यह लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें दोनों दिशाओं में नौवहन मार्ग केवल कुछ किलोमीटर चौड़े हैं।

- भारत के लगभग आधे कच्चे तेल और लगभग 60 प्रतिशत प्राकृतिक गैस आयात इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरते हैं।

फारस की खाड़ी

- फारस की खाड़ी उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है।
- यह होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से अरब सागर से जुड़ती है, जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री अवरोध बिंदुओं में से एक है।
- भारत के लिए फारस की खाड़ी तेल और गैस का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
  - वर्ष 2025 में भारत के लगभग 90% एलपीजी आयात, 40% एलएनजी आयात और 35% कच्चे तेल का आयात फारस की खाड़ी से हुआ।

स्रोत: IE

ईरानी कुर्द(Iranian Kurds)

संदर्भ

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी कुर्द बलों को ईरान के विरुद्ध हमले करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि पश्चिम एशिया में संघर्ष व्यापक हो गया।

परिचय

- **कुर्द:** कुर्द लोग मध्य पूर्व में एक जातीय अल्पसंख्यक समूह हैं जिनका कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है।
  - इनकी जनसंख्या विश्वभर में 2.5 से 4.5 करोड़ के बीच है, जिनमें अधिकांश पश्चिमी ईरान, पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, सीरिया और आर्मेनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं।
  - वे विभिन्न कुर्दी बोलियाँ बोलते हैं, जो तुर्की या अरबी से संबंधित नहीं हैं; अधिकांश सुन्नी मुस्लिम हैं।
- तुर्की में सबसे बड़ी कुर्द जनसंख्या है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग, जबकि ईरान में 80 से 120 लाख कुर्द रहते हैं।
- **कुर्दों की चिंताएँ:** प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें एक राष्ट्र का वादा किया गया था, किंतु यह कभी पूरा नहीं हुआ।
  - उन्होंने विद्रोहों, भाषा और संस्कृति के दमन का सामना किया।
- **कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार:** वर्षों के संघर्ष और 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद, कुर्दों ने इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार (KRG) की स्थापना की, जो अब संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त स्वायत्त क्षेत्र है।
  - वर्तमान इज़राइल-ईरान-अमेरिका संघर्ष में, कुर्द ईरानी शासन को कमजोर कर स्वायत्तता प्राप्त करने का अवसर देख सकते हैं।

स्रोत: TH

रायसीना संवाद 2026

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2026 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
  - 2026 संस्करण की थीम है: "संस्कार: अभिव्यक्ति, समायोजन, उन्नति।"

रायसीना संवाद

- रायसीना संवाद भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर केंद्रित है और वैश्विक

समुदाय के सामने उपस्थित सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर विचार करता है।

- यह वैश्विक नेताओं, नीति-निर्माताओं, राजनयिकों, विद्वानों और रणनीतिक विशेषज्ञों को एक साथ लाता है ताकि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा की जा सके।
  - इसका प्रथम सत्र 2016 में आयोजित हुआ था।
- इसे नई दिल्ली स्थित ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है।

स्रोत: DD News

ग्रैविटी बम(Gravity Bomb)

संदर्भ

- अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने घोषणा की कि अमेरिका 'ग्रैविटी बम' की ओर अग्रसर होगा, जो ईरान के विरुद्ध चल रहे अभियान में एक प्रमुख सामरिक परिवर्तन को दर्शाता है।

ग्रैविटी बम क्या है?

- ग्रैविटी बम (या फ्री-फॉल बम) एक बिना शक्ति वाला आयुध है जिसे विमान से गिराया जाता है। टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइल जैसी क्रूज़ मिसाइलों के विपरीत, इसमें इंजन नहीं होता और यह विमान की गति एवं ऊँचाई के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से लक्ष्य की ओर गिरता है।
- यद्यपि इनकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी, फिर भी ग्रैविटी बम अमेरिका वायुसेना द्वारा इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे संघर्षों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते रहे हैं।
- **आधुनिकीकरण:** कई ग्रैविटी बमों को जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन (JDAM) किट से सुसज्जित किया जाता है, जो GPS और नियंत्रित पंखों का उपयोग कर इन्हें सटीक-निर्देशित आयुध में परिवर्तित करते हैं।
- **प्रकार:** अमेरिका व्यापक रूप से मार्क 80 श्रृंखला का उपयोग करता है, जिसमें शामिल हैं:
  - **Mk-82 (500 पाउंड):** हल्के लक्ष्य जैसे वाहन या रडार स्थल।
  - **Mk-83 (1,000 पाउंड):** सुदृढ़ संरचनाएँ और कमांड पोस्ट।
  - **Mk-84 (2,000 पाउंड):** बंकर-बस्टर, कठोर सुविधाओं के लिए।
- **प्रमुख विशेषता:** ग्रैविटी बम अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं (JDAM सहित $25,000–$30,000), किंतु इन्हें लक्ष्य के निकट विमान से गिराना पड़ता है। अतः ये मुख्यतः तभी प्रभावी होते हैं जब वायु श्रेष्ठता प्राप्त हो।

स्रोत: IE

भारत की जैव विविधता पर सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट

संदर्भ

- भारत ने जैव विविधता पर अभिसमय (CBD) को अपनी सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें 2030 तक जैव विविधता लक्ष्यों की दिशा में राष्ट्रीय प्रगति का आकलन किया गया है।

परिचय

- यह रिपोर्ट भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जो 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (NBTs) के अनुरूप है और कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF) से संरेखित है।
- रिपोर्ट में पाया गया कि केवल दो लक्ष्य स्पष्ट रूप से सही दिशा में हैं, यद्यपि नीतिगत ढाँचों, वनावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन में सुधार हुए हैं।

जैव विविधता पर अभिसमय (CBD)

- **उत्पत्ति:** यह अभिसमय 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (रियो अर्थ शिखर सम्मेलन) में हस्ताक्षर हेतु खोला गया।
- **प्रवर्तन:** 29 दिसंबर 1993 को यह अभिसमय लागू हुआ।
- **प्रथम COP सत्र:** 1994 में बहामास में आयोजित हुआ।
- **सचिवालय:** मॉन्ट्रियल, कनाडा।

- **अनुमोदन:** इसे 196 देशों ने अनुमोदित किया है, जिससे यह सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ही एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसने इस अभिसमय को अनुमोदित नहीं किया।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - जैव विविधता का संरक्षण।
  - जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग।
  - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का न्यायसंगत एवं समान वितरण।
- इसका शासी निकाय पार्टियों का सम्मेलन (COP) है, जो प्रत्येक दो वर्ष में बैठक करता है।
- कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसैफ्टी और नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग इसके पूरक समझौते हैं।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा

- यह रूपरेखा 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित CBD के COP15 में निष्कर्षित हुई।
- यह वैश्विक जैव विविधता संकट से निपटने हेतु एक ऐतिहासिक समझौता है।
- इसमें 2030 तक पूरे किए जाने वाले 23 लक्ष्य और 2050 तक जैव विविधता संरक्षण हेतु चार वैश्विक उद्देश्य शामिल हैं।
- यह समझौता सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं है।

स्रोत: DTE